

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-25/03/2014

संख्या-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-80 (3)/रा0, श्री रामशंकर (वि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-822/08, गृह जिला-पटना) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका के पद पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. इस पर भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति संसूचित है।


3. श्री रामशंकर को भू-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और धारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16(6), 17, 19(2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

4. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1984 तथा संशोधित, 1984 की धारा-4, 5(ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी विना पारगमनकाल का उपभोग किये हुए योगदान देकर नव पद एवं स्थान का प्रभार निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे तथा माह मार्च, 2014 का वेतनआदि नव पदस्थापित पद से ही प्राप्त करेंगे।


5. पूर्व की सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-80 (3)/रा, पटना-15, दिनांक-25/03/2014

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, भू-अर्जन, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी,/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित पदाधिकारी/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कोषांग/विभागीय प्रशाखा-3/निगरानी कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेवसाइट upload करने हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।